वित्तीय स्वीकृति

संख्या -3/6528/9-1-2013-01मेला/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मेला अधिकारी,
कुम्भ मेला, इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक:31 जनवरी, 2014

विषय: कुम्भ मेला, 2013 के लम्बित देयकों के भुगतान एवं अन्य कार्यो हेतु धनराशि आवंटित किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला, इलाहाबाद 2013 के लम्बित देयकों के भुगतान एवं अन्य कार्यो हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरणानुसार धनराशि रू0-7,07,56,729.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि रू0-7,07,56,729.00 (रूपये सात करोड़ सात लाख छप्पन हजार सात सौ उन्तीस मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	विवरण	धनराशि (रूपये में)
1	कुम्भ मेला प्रशासन के अवशेष देयकों का भुगतान	6,96,22,569.00
2	कुम्भ मेला के प्रशासनिक प्रतिवेदन का मुद्रण	4,00,000.00
3	कुम्भ मेला की बेवसाइट का अपग्रेडशन	7,34,160.00
	कुल योग-	7,07,56,729.00

(1) उक्त लम्बित देयकों के परीक्षणोपरान्त एवं अन्य कार्यो हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) मेलाधिकारी, कुम्भ मेला द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।

(3) इस धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत दरों के विचारोपरान्त आगणन के अनुसार सम्पन्न कराये गये कार्यो पर ही किया जायेगा।

(4) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगे, यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, जो वह संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक धनराशि व्यय की जाय। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों के आधार पर पूर्ण मितव्ययता सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रश्नगत स्वीकृतियॉ यद्यपि स्वीकृत की जा रही है, किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इस स्वीकृति से उन्हीं लम्बित देयकों का भुगतान किया जायेगा, जो कार्य वास्तव में पूर्ण हो चुकें हो तथा अन्य कार्यो, जिनका सक्षम स्तर से अनुमोदन दिया गया है के निमित्त ही व्यय की जायेगी।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-37 के लेखा शीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-कुम्भ मेला, इलाहाबाद-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-413/दस-14, दिनांक 25 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-3/6528(1)/9-1-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. अपर मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, इलाहाबाद।
6. विशेष सचिव एवं बजट अधिकारी, वित्त/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
8. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in